प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकल पीठ: माननीय न्यायमूर्ति श्री राधे श्याम शर्मा

दाण्डिक अपील क्रमांक 1821/1996

अम्मालाल

- बनाम-

मध्यप्रदेश राज्य

(अब छत्तीसगढ़ राज्य)

निर्णय

दिनांक 27.02.2012 को सूचीबद्घ करें।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-

राधे श्याम शर्मा

न्यायाधीश

27.02.2012

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकल पीठ: माननीय न्यायमूर्ति श्री राधे श्याम शर्मा

दाण्डिक अपील क्रमांक 1821/1996

अपीलार्थी : अम्मालाल, पिता श्री भगतलाल चौहान, आयु लगभग 30 वर्ष, निवासी नौरंगपुर, थाना पुसौर, जिला रायगढ़

बनाम

प्रत्यर्थी : मध्यप्रदेश राज्य (व्रर्तमान छत्तीसगढ़ राज्य)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थित:

अपीलार्थी की ओर अभिजीत सरकार, अधिवक्ता ।

राज्य/प्रत्यर्थी की ओर से श्री एम.पी.एस. भाटिया, उप-शासकीय अधिवक्ता।

(दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374 (2) के अंतर्गत दांडिक अपील)

निर्णय

(27 फरवरी, 2012 को पारित)

यह अपील विशेष प्रकरण क्रमांक 3/1988 में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा दिनांक 30-9-1996 को पारित निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

आक्षेपित निर्णय द्वारा अभियुक्त/अपीलार्थी अम्मालाल को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 161 तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 (आगे 'अधिनियम, 1947') की धारा 5(1)(घ) सहपठित धारा 5(2) के अंतर्गत दोषसिद्ध किया गया है तथा उसे प्रत्येक अपराध के लिए दो-दो वर्ष के सश्रम कारावास के दंड एवं 2,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश दिया गया है। दोनों कारावास की सजाएं साथ-साथ चलने का निर्देश दिया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. अभियोजन पक्ष का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है :

दिनांक 11-12-1985 को अपीलार्थी हल्का क्रमांक 41, ग्राम विजयपुर एवं डोकरिखार (जो पटवारी हल्का क्रमांक 41, आर.आई. सर्किल एवं तहसील कटघोरा के अधिकारिता में आते हैं) का पटवारी के रूप में कार्यरत था। उक्त दिन परिवादी बिसाहूराम यादव (अ.सा.-2) ने पुलिस उप अधीक्षक, लोकायुक्त, बिलासपुर के समक्ष एक लिखित परिवाद (प्रदर्श पी.-3) प्रस्तुत की, जिसमें उल्लेख किया कि उसने अपने पुत्रों एवं समारू (अ.सा.-15) के नाम से कृषि भूमि क्रय की थी, जिसके दस्तावेज एवं स्टाम्प पत्र उसने नामांतरण हेतु संबंधित हल्का पटवारी अर्थात् अपीलार्थी को सौंपे थे। उस समय अपीलार्थी ने परिवादी से तथा समारू (अ.सा.-15) की ओर से परिवादी के माध्यम से 2,000/- रुपये प्रत्येक, कुल

4,000/- रुपये की राशि प्राप्त की थी, किंतु स्टाम्प पत्र वापस करने के लिए अतिरिक्त 900/-रुपये की मांग की तथा उक्त राशि दिनांक 11-12-1985 तक लाने को कहा। चूंकि परिवादी अपीलार्थी को उक्त राशि देना नहीं चाहता था, इसलिए उसने परिवाद (प्रदर्श पी.-3) प्रस्तुत की। उक्त परिवाद (प्रदर्श पी.-3) को पुलिस उप अधीक्षक, लोकायुक्त, बिलासपुर एस.एन. दुबे द्वारा आवश्यक कार्यवाही हेतु निरीक्षक आर.सी. पांडा (अ.सा.-17) को अग्रेषित किया गया। डिप्टी कलेक्टर, बिलासपुर बी.आर. ध्रुव (अ.सा.-12) तथा पुलिस उप अधीक्षक, लोकायुक्त, बिलासपुर एस.एन. दुबे (जिनका परीक्षण नहीं हुआ) को पंच साक्षी बनाया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

परिवाद (प्रदर्श पी.-3) पंच साक्षियों को परिशीलन हेतु दी गई। उन्होंने परिवादी बिसाहूराम यादव (अ.सा.-2) से परिवाद (प्रदर्श पी.-3) के संबंध में पूछताछ की।

इसके पश्चात एक पूर्व-ट्रैप कार्यवाही आयोजित किया गया, जिसमें एक गिलास में सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार किया गया। सादे कागज का एक टुकड़ा उक्त घोल में डुबोने पर घोल के रंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तत्पश्चात फिनॉल्फ्थेलीन पाउडर लगे कागज के एक अन्य टुकड़े को घोल में डुबोया गया, जिससे घोल का रंग गुलाबी हो गया। कार्यवाही के बाद परिवादी बिसाहूराम यादव (अ.सा.-2) को मुद्रा(करेंसी) नोट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। परिवादी ने 100/- रुपये मूल्यवर्ग के कुल 900/- रुपये प्रस्तुत किए। पूर्व-ट्रैप पंचनामा (प्रदर्श पी.-13)

तैयार किया गया तथा उक्त मुद्रा नोटों के क्रमांक उसमें अंकित किए गए। इसके बाद मुद्रा नोटों पर फिनॉल्फ्थेलीन पाउडर लगाया गया और उन्हें परिवादी बिसाहूराम यादव (अ.सा.-2) द्वारा पहनी गई बनियान की बाईं ओर की ऊपरी जेब में रख दिया गया। उसे यह भी बताया एवं निर्देशित किया गया कि ट्रैप किस प्रकार आयोजित किया जाएगा तथा ट्रैप कार्यवाही में उसे क्या भूमिका निभानी है। परिवादी बिसाहूराम यादव (अ.सा.-2) को यह भी निर्देश दिया गया कि वह राशि केवल तभी अपीलार्थी को दे, जब वह उसकी मांग करे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

पूर्व-ट्रैप पंचनामा (प्रदर्श पी.-13) तैयार करने एवं पूर्व-ट्रैप कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात ट्रैप दल ग्राम विजयपुर पहुँचा, जहाँ अपीलार्थी नहीं मिला। उन्हें जानकारी मिली कि अपीलार्थी ग्राम डोकरिखार में है। इसके बाद वे ग्राम डोकरिखार गए। परिवादी बिसाहूराम यादव (अ.सा.-2) होरी सिंह कंवर के घर में प्रवेश किया, जहाँ अपीलार्थी अपना कार्य कर रहा था, और ट्रैप दल के सदस्यों ने घर को चारों ओर से घेर लिया। परिवादी बिसाहूराम यादव (अ.सा.-2) ने रासायनिक पदार्थ (फिनॉल्फ्थेलीन) लगे मुद्रा नोट अपीलार्थी को दे दिए। राशि देने के पश्चात, पूर्व में दिए गए निर्देशानुसार, परिवादी बिसाहूराम यादव (अ.सा.-2) ने ट्रैप दल को संकेत दिया। संकेत प्राप्त होते ही ट्रैप दल के सदस्य तत्काल घटनास्थल पर पहुँचे और अपीलार्थी के हाथ पकड़ लिए। अपीलार्थी ने बलपूर्वक अपने हाथ छुड़ा लिए और मुद्रा नोटों को जमीन पर फेंक दिया।

सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार किया गया, जिसमें अपीलार्थी के दोनों हाथों की उंगलियाँ डुबोई गईं। घोल का रंग गुलाबी हो गया। उक्त घोल को पृथक बोतल में सुरक्षित रखकर सीलबंद किया गया। मुद्रा नोटों को मकान के फर्श से उठाया गया। उनके क्रमांक पूर्व-ट्रैप पंचनामा (प्रदर्श पी.-13) में अंकित क्रमांकों से मिलान किए गए, जो समान पाए गए। पुनः सोडियम कार्बोनेट का एक अन्य घोल तैयार किया गया और बरामद मुद्रा नोटों को उसमें डुबोया गया, जिससे घोल का रंग गुलाबी हो गया। उक्त घोल को अलग बोतल में भरकर सीलबंद किया गया। इसके बाद सोडियम कार्बोनेट का एक और घोल तैयार किया गया, जिसमें अपीलार्थी के कोट की बाईं निचली जेब को डुबोया गया। घोल का रंग पुनः गुलाबी हो गया। उसे भी पृथक बोतल में सुरक्षित रखकर सीलबंद किया गया। अपीलार्थी का कोट एवं बरामद मुद्रा नोट जप्त किए गए। खसरा पंचशाला, विक्रय विलेख एवं पट्टा भी प्रदर्श पी.-17 के माध्यम से जप्त किए गए। तत्पश्चात ट्रैप पंचनामा प्रदर्श पी.-16 के तहत तैयार किया गया। देहाती नालिश (प्रदर्श पी.-22) दर्ज की गई। इसके उपरांत दिनांक 24-12-1985 को नियमित प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी.-23) के माध्यम से अपराध क्रमांक 209/85 पंजीबद्ध किया गया। जप्त घोलों एवं अन्य सामग्रियों को रासायनिक परीक्षण हेतु न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, सागर को प्रदर्श पी.-19 के माध्यम से प्रेषित किया गया। न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला का प्रतिवेदन (प्रदर्श पी.-24) प्राप्त हुई, जिसमें फिनॉल्फ्थेलीन परीक्षण सकारात्मक पाया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विवेचन पूर्ण होने के पश्चात अपीलार्थी के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति प्रदर्श पी.-20 ए के माध्यम से प्राप्त की गई तथा उसके विरुद्ध विशेष न्यायाधीश/सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर के न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। विचारण माननीय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा संचालित किया गया।

विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 161 तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 की धारा 5(1)(घ) सहपठित धारा 5(2) के अंतर्गत आरोप विरचित किए। अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों के विवेचन करने के पश्चात विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को उपर्युक्तानुसार दोषसिद्ध कर दंडित किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. अभियुक्त/अपीलार्थी के विरुद्ध आरोपों को सिद्ध करने हेतु अभियोजन ने नायब तहसीलदार डी.एन. पात्रे (अ.सा.-1), परिवादी बिसाहूराम यादव (अ.सा.-2), चतुर सिंह (अ.सा.-3), सुरभान सिंह (अ.सा.-4), माधव सिंह (अ.सा.-5), एन.के. पांडेय (अ.सा.-6), पुलिस उप अधीक्षक एम.के. हिराधर (अ.सा.-7), पटवारी जयराम केवट (अ.सा.-8), राजस्व निरीक्षक आर.बी. चंद्रा (अ.सा.-9), कमल सिंह (अ.सा.-10), माणिकदास (अ.सा.-11), डिप्टी कलेक्टर बी.आर. ध्रुव (अ.सा.-12), बरातू (अ.सा.-13), प्रेमचंद तिवारी (अ.सा.-14), समारू (अ.सा.-15), राजेन्द्र सवाई (अ.सा.-16)

तथा निरीक्षक आर.सी. पांडा (अ.सा.-17) का परीक्षण कराया। बचाव पक्ष की ओर से अपीलार्थी ने कौशलदास (ब.सा.-1) का परीक्षण कराया।

4. अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अभिजीत सरकार ने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष विश्वसनीय एवं ठोस साक्ष्य द्वारा अवैध पारितोष की मांग सिद्ध करने में असफल रहा है। पंच साक्षियों ने अपीलार्थी को परिवादी से स्वयं धन की मांग करते हुए नहीं सुना। परिवादी ने अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति से भूमि, भूमि राजस्व संहिता, 1959 (आगे 'संहिता, 1959') की धारा 165(6) का उल्लंघन करते हुए क्रय की थी। अपीलार्थी ने परिवादी द्वारा दी गई विक्रय विलेख को संहिता, 1959 की धारा 170-ख के अंतर्गत प्रतिवेदन भेजने हेतु अपने पास रखा था। भूमि का नामांतरण पहले ही किया जा चुका था। चूंकि अपीलार्थी संहिता, 1959 की धारा 170-ख के अंतर्गत परिवादी के विरुद्ध कार्यवाही प्रारंभ करने वाला था, इस कारण परिवादी ने झूठा प्रकरण दर्ज कराकर अपीलार्थी को फंसा दिया। अभियोजन साक्षियों के कथन विश्वसनीय नहीं हैं। राशि की बरामदगी भी संदेहास्पद है। परिवादी बिसाहूराम यादव (अ.सा.-2) का साक्ष्य अविश्वसनीय है तथा केवल उसके कथन के आधार पर दोषसिद्धि नहीं की जा सकती। धन की मांग अभियोजन द्वारा सिद्ध नहीं की गई है। अतः आक्षेपित निर्णय स्थिर रखे जााने योग्य नहीं है और अपीलार्थी दोषमुक्त किए जाने का अधिकारी है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. इसके विपरीत, राज्य/प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान उप शासकीय अधिवक्ता श्री एम.पी.एस. भाटिया ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन करते हुए उपर्युक्त तर्कों का खंडन किया और निवेदन किया कि अभियोजन ने ठोस एवं विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। रिश्वत की राशि अपीलार्थी से बरामद की गई। जब अपीलार्थी की उंगलियों को सोडियम कार्बोनेट के घोल में डुबोया गया, तब घोल का रंग गुलाबी हो गया। अतः अपीलार्थी के विरुद्ध उपधारणा उत्पन्न होता है और उसके विरुद्ध पारित दोषसिद्धि एवं दंडादेश में इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना है तथा विशेष प्रकरण क्रमांक 3/1988 के अभिलेख का अत्यंत सावधानीपूर्वक परिशीलन किया है।

7. विद्वान विचारण न्यायाधीश ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों के विवेचन के पश्चात यह निष्कर्ष निकाला कि अपीलार्थी ने परिवादी से 900/- रुपये की अवैध पारितोषण की मांग की थी।

8. बिसाहूराम यादव (अ.सा.-2) ने अपने अभिवचन में कहा कि उसने अपने पुत्र पूरन के नाम से कृषि भूमि क्रय की थी तथा नामांतरण हेतु विक्रय विलेख अपीलार्थी को दिया था। जब उसने अपीलार्थी से विक्रय विलेख वापस करने को कहा, तब अपीलार्थी ने 900/- रुपये की मांग की। इस संबंध में वह कई बार

अपीलार्थी से मिला, किंतु अपीलार्थी ने कहा कि 900/- रुपये की राशि दिए बिना वह विक्रय विलेख वापस नहीं करेगा। तत्पश्चात उसने पुलिस उप अधीक्षक के समक्ष परिवाद (प्रदर्श पी.-3) प्रस्तुत की। उसने ट्रैप दल के समक्ष 900/- रुपये की मुद्रा प्रस्तुत की। उन मुद्रा नोटों पर फिनॉल्फ्थेलीन पाउडर लगाया गया और आवश्यक कार्यवाही दर्ज की गई।

9. डिप्टी कलेक्टर बी.आर. ध्रुव (अ.सा.-12) ने अपने अभिवचन में कहा कि दिनांक 11-12-1985 को उन्हें लोकायुक्त कार्यालय, बिलासपुर से बुलाया गया। वहाँ जाकर उन्होंने निरीक्षक आर.सी. पांडा (अ.सा.-17) से मुलाकात की, जिन्होंने उन्हें परिवादी बिसाहूराम यादव (अ.सा.-2) से परिचित कराया। परिवाद (प्रदर्श पी.-3) उन्हें अवलोकन हेतु दी गई। उन्होंने परिवादी से परिवाद के संबंध में पूछताछ की। परिवादी ने उनके समक्ष परिवाद (प्रदर्श पी.-3) की विषयवस्तु को सत्य बताया। तत्पश्चात उन्होंने परिवाद पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने यह भी कहा कि एक पूर्व-ट्रैप प्रदर्शन आयोजित किया गया। परिवादी ने 100/- रुपये मूल्यवर्ग के 900/- रुपये प्रस्तुत किए। पूर्व-ट्रैप पंचनामा (प्रदर्श पी.-13) तैयार किया गया, जिसमें मुद्रा नोटों के क्रमांक अंकित किए गए। मुद्रा नोटों पर फिनॉल्फ्थेलीन पाउडर लगाया गया तथा उन्हें सादे कागज में लपेटकर परिवादी बिसाहूराम यादव (अ.सा.-2) की जेब में रख दिया गया।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

10. निरीक्षक आर.सी. पांडा (अ.सा.-17) ने कहा कि परिवादी बिसाहूराम यादव (अ.सा.-2) ने अपीलार्थी के विरुद्ध परिवाद (प्रदर्श पी.-3) प्रस्तुत की थी। उन्होंने पूर्व-ट्रैप कार्यवाही की व्यवस्था की। परिवादी ने 900/- रुपये की मुद्रा प्रस्तुत की, जिनके क्रमांक पूर्व-ट्रैप पंचनामा (प्रदर्श पी.-13) में अंकित किए गए। मुद्रा नोटों पर फिनॉल्फ्थेलीन पाउडर लगाया गया तथा उन्हें सादे सफेद कागज में लपेटकर परिवादी द्वारा पहनी गई बनियान की बाईं ऊपरी जेब में रख दिया गया। उन्होंने यह भी कहा कि परिवादी को ट्रैप की व्यवस्था तथा ट्रैप कार्यवाही में उसकी भूमिका के संबंध में निर्देश एवं मार्गदर्शन दिया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. आर.सी. पांडा (अ.सा.-17), बी.आर. ध्रुव (अ.सा.-12), बिसाहुराम यादव (अ.सा.-2), एम.के. हीराधर (अ.सा.-7) तथा एन.के. पांडेय (अ.सा.-6) ने अपने अभिवचन में बताया कि वे ग्राम विजयपुर के लिए रवाना हुए और लगभग शाम 7 बजे वहाँ पहुँचे। वे अपीलार्थी के घर के पास ठहरे और परिवादी बिसाहुराम यादव (अ.सा.-2) को अपीलार्थी के घर भेजा गया। परिवादी बिसाहुराम यादव (अ.सा.-2) अपीलार्थी के घर से वापस आए और बताया कि अपीलार्थी अपने घर पर उपस्थित नहीं है तथा वह ग्राम डोकरिखार गया हुआ है। इसके बाद वे ग्राम डोकरिखार के लिए रवाना हुए। वे लगभग आधे घंटे बाद वहाँ पहुँचे। उस समय अपीलार्थी होरी सिंह कंवर के घर में अपना कार्य कर रहा था। वे होरी सिंह कंवर के घर के पास छिप गए और परिवादी बिसाहुराम यादव (अ.सा.-2) उस घर में प्रवेश किया जहाँ

अपीलार्थी कार्य कर रहा था। कुछ समय बाद परिवादी और अपीलार्थी दोनों घर से बाहर आए और परिवादी बिसाहुराम यादव (अ.सा.-2) ने अपीलार्थी को धनराशि दिए, जिन्हें अपीलार्थी ने अपने पहने हुए कोट की बाईं निचली जेब में रख लिया।

12. आर.सी. पांडा (अ.सा.-17), बी.आर. ध्रुव (अ.सा.-12), एम.के. हीराधर (अ.सा.-7) तथा बिसाहुराम यादव (अ.सा.-2) ने अपने अभिवचन में बताया कि बिसाहुराम यादव (अ.सा.-2) ने अपीलार्थी को पैसे देने के बाद संकेत दिया। संकेत प्राप्त होते ही ट्रैप दल तुरंत घटनास्थल पर पहुँचा और एन.के. पांडेय (अ.सा.-6) ने अपीलार्थी के दोनों हाथ पकड़ लिए। अपीलार्थी ने बलपूर्वक अपने हाथ एन.के. पांडेय (अ.सा.-6) से छुड़ा लिए और मुद्रा नोटों को जमीन पर फेंक दिया।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

13. आर.सी. पांडा (अ.सा.-17), बी.आर. ध्रुव (अ.सा.-12), एम.के. हीराधर (अ.सा.-7) तथा एन.के. पांडेय (अ.सा.-6) ने अपने अभिवचन में बताया कि सोडियम कार्बोनेट का एक घोल तैयार किया गया, जिसमें अपीलार्थी के दोनों हाथों की उंगलियाँ डुबोई गईं, जिससे घोल का रंग गुलाबी हो गया। उक्त घोल को एक अलग बोतल में रखकर सील किया गया। घर की फर्श से मुद्रा नोट उठाए गए। मुद्रा नोटों के नंबरों का मिलान पूर्व-ट्रैप पंचनामा (प्र.पी.-13) में उल्लिखित नंबरों से किया गया, जो समान पाए गए। इसके बाद सोडियम कार्बोनेट का एक अन्य घोल तैयार किया गया और बरामद मुद्रा नोटों को उसमें डुबोया गया, जिससे घोल का रंग

गुलाबी हो गया। उस घोल को दूसरी बोतल में रखकर सील किया गया। पुनः सोडियम कार्बोनेट का एक और घोल तैयार किया गया, जिसमें अपीलार्थी के कोट की बाईं निचली जेब को डुबोया गया, जिससे घोल का रंग गुलाबी हो गया। उस घोल को भी अलग बोतल में रखकर सील किया गया। अपीलार्थी का कोट तथा बरामद मुद्रा नोट जप्त किए गए।

14. अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि परिवादी ने अनुसूचित जनजाति से संबंधित व्यक्ति से भूमि क्रय की थी, जो संहिता, 1959 की धारा 165(6) का उल्लंघन था। अपीलार्थी ने परिवादी द्वारा दी गई विक्रय विलेख को संहिता, 1959 की धारा 170-ख के अंतर्गत प्रतिवेदन भेजने हेतु अपने पास सुरक्षित रखा था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. कौशलदास (ब.सा.-1) ने अपने अभिवचन में बताया कि लगभग रात्रि 8 बजे अपीलार्थी होरी सिंह कंवर के घर में अपना कार्य कर रहा था। वहाँ 20-25 व्यक्ति बैठे थे और गैस लैंप का प्रकाश फैला हुआ था। परिवादी बिसाहुराम रावत होरी सिंह कंवर के घर आया और अपीलार्थी को घर के बाहर ले गया। बिसाहुराम रावत ने अपीलार्थी के पहने हुए कोट की बाईं जेब में अपना हाथ डाल दिया। अपीलार्थी ने परिवादी का हाथ अपनी जेब से झटक दिया। अपीलार्थी की जेब से कोई वस्तु नीचे

गिर गई। उसी समय पुलिस दल वहाँ पहुँचा और फर्श पर पड़े मुद्रा नोटों को अपीलार्थी से बरामद किया।

16. बिसाहुराम यादव (अ.सा.-2) ने अपने अभिवचन में कहा कि यह सत्य है कि नामांतरण पहले ही किया जा चुका था। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत परीक्षण के दौरान अपीलार्थी ने कहा कि परिवादी बिसाहुराम यादव (अ.सा.-2) ने स्वयं को अनुसूचित जनजाति का सदस्य दर्शाकर अनुसूचित जनजाति से संबंधित व्यक्ति से भूमि क्रय की थी। नामांतरण 10-11 माह पूर्व ही किया जा चुका था। उसने परिवादी द्वारा दी गई विक्रय विलेख को तहसीलदार को प्रतिवेदन भेजने हेतु अपने पास सुरक्षित रखा था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. अपीलार्थी के कथनानुसार ऐसा प्रतीत होता है कि नामांतरण पहले ही किया जा चुका था। यदि परिवादी ने कपटपूर्वक अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति से भूमि क्रय की थी, तो अपीलार्थी ने नामांतरण क्यों किया और इस संबंध में परिवादी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु पूर्व में तहसीलदार अथवा अनुविभागीय अधिकारी को प्रतिवेदन क्यों प्रस्तुत नहीं किया। अभियोजन साक्षियों तथा कौशलदास (ब.सा.-1) के साक्ष्य के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि परिवादी बिसाहुराम यादव (अ.सा.-2) होरी सिंह कंवर के घर गया, जहाँ अपीलार्थी अपना कार्य कर रहा था, और उसे घर से बाहर ले गया। इसके पश्चात अपीलार्थी ने परिवादी से धनराशि प्राप्त

की। अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य के आलोक में अपीलार्थी द्वारा लिया गया बचाव विश्वसनीय नहीं है।

18. धनेश्वर नारायण सक्सेना बनाम दिल्ली प्रशासन, एआईआर 1962 एससी 195 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकार अभिनिर्धारित किया:

> "3. इस प्रावधान के अंतर्गत अपराध का गठन लोकसेवक द्वारा अपने कर्तव्य के निर्वहन में आपराधिक अपचार करने से होता है। अतः इस अपराध के संपन्न होने के लिए आवश्यक है कि लोकसेवक ने अपने कर्तव्य के निर्वहन में अपचार किया हो। दूसरे शब्दों में, लोकसेवक को अपने स्वयं के कर्तव्य के संबंध में कोई कार्य करना चाहिए और उसके माध्यम से भ्रष्ट या अवैध साधनों से, अथवा अपने पद का दुरुपयोग करते हुए, अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए धन या कोई मूल्यवान वस्तु प्राप्त करनी चाहिए। यदि कोई लोकसेवक किसी अन्य लोकसेवक को भ्रष्ट करने के उद्देश्य से किसी तीसरे व्यक्ति से धन लेता है और उसके द्वारा अपने स्वयं के कर्तव्य के निर्वहन में अपचार का कोई प्रश्न नहीं उठता, तो ऐसा कृत्य भारतीय दंड संहिता की धारा 161 के अंतर्गत अपराध हो सकता है, परंतु वह भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 5(2) सहपठित धारा 5(1)(घ) के अंतर्गत अपराध नहीं होगा। धारा 5(2) सहपठित धारा 5(1)(घ) के अंतर्गत अपराध

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

का सार यह है कि लोकसेवक अपने स्वयं के कर्तव्य के निर्वहन में कोई कार्य करे और उसके द्वारा भ्रष्ट या अवैध साधनों से, अथवा अपने पद का अन्यथा दुरुपयोग करते हुए, अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई मूल्यवान वस्तु या आर्थिक लाभ प्राप्त करे। धारा 5(1)(घ) में प्रयुक्त शब्द **"अपने पद का अन्यथा दुरुपयोग करते हुए"** को **"अपने कर्तव्य के निर्वहन में"** शब्दों के साथ पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि उस धारा के अंतर्गत अपराध सिद्ध होने के लिए यह आवश्यक है कि लोकसेवक ने अपने स्वयं के कर्तव्य के निर्वहन में दुराचार किया हो।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. **दलपत सिंह एवं अन्य बनाम राज्य राजस्थान, एआईआर 1969 एससी17** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अवधारित किया कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 5(1) में प्रयुक्त शब्द **"अपने कर्तव्य के निर्वहन में"** धारा 5(1)(घ) के अंतर्गत अपराध का आवश्यक अवयव नहीं हैं। धारा 5(1)(घ) के अंतर्गत अपराध के अवयव इस प्रकार हैं— (1)अभियुक्त लोक सेवक हो, (2) उसने भ्रष्ट या अवैध साधनों का उपयोग किया हो अथवा लोकसेवक के रूप में अपने पद का दुरुपयोग किया हो, (3) उसने कोई मूल्यवान वस्तु या आर्थिक लाभ प्राप्त किया हो, तथा (4) वह लाभ अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्राप्त किया हो। अतः धारा 5(1)(घ) के अंतर्गत अपराध सिद्ध करने के लिए यह सिद्ध करना आवश्यक नहीं है कि जिन कृत्यों की शिकायत

की गई है, वे अभियुक्त द्वारा अपने शासकीय कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए थे। इसलिए, यदि यह सिद्ध हो जाता है कि अभियुक्त ने लोकसेवक के रूप में अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अथवा अवैध साधनों से अपने लिए धन या अन्य कोई मूल्यवान वस्तु प्राप्त की, तो यह कहा जा सकता है कि उसने आपराधिक अपचार का अपराध किया है, भले ही वह कृत्य उसके शासकीय कर्तव्यों के निर्वहन से प्रत्यक्षतः संबंधित न हो।

20. उपर्युक्त सिद्धांतों के आलोक में यह मानना त्रुटिपूर्ण है कि अधिनियम, 1947 की धारा 5(1)(घ) सहपठित धारा 5(2) के अंतर्गत अपराध का सार यह है कि लोकसेवक को अपने स्वयं के कर्तव्य से संबंधित कोई कार्य करना चाहिए और उसके माध्यम से कोई मूल्यवान वस्तु या आर्थिक लाभ प्राप्त करना चाहिए। यह मानना भी अनुचित है कि उक्त प्रावधानों के अंतर्गत अपराध का मूल तत्व यह है कि लोकसेवक अपने कर्तव्य के निर्वहन में कोई कार्य करे और उसके द्वारा कोई मूल्यवान वस्तु या आर्थिक लाभ प्राप्त करे। आवश्यक यह है कि अभियुक्त ने अपचार करते हुए अपने पद का दुरुपयोग किया हो और उसके परिणामस्वरूप कोई आर्थिक लाभ प्राप्त किया हो। वर्तमान प्रकरण में अपीलार्थी पटवारी हल्का क्रमांक 41 में पदस्थ था और परिवादी बिसाहुराम यादव (अ.सा.-2) ने नामांतरण हेतु उसे विक्रय विलेख सौंपा था। नामांतरण पहले ही कर दिया गया था, किंतु अपीलार्थी ने विक्रय विलेख परिवादी को वापस नहीं किया और उसे अपने पास ही रखा। लगभग

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10 माह तक अपीलार्थी ने इस संबंध में कोई प्रतिवेदन भी प्रेषित नहीं किया। परिवादी बिसाहुराम यादव (अ.सा.-2) विक्रय विलेख वापस प्राप्त करने के लिए बार-बार अपीलार्थी से मिलता रहा, तथापि अपीलार्थी ने उसे वापस नहीं किया। अतः परिवादी के इस कथन कि अपीलार्थी ने उससे अवैध पारितोषण के रूप में 900/- रुपये की मांग की थी, विश्वसनीय एवं ग्राह्य प्रतीत होता है।

21. **सी.एम. शर्मा बनाम राज्य आंध्र प्रदेश, (2011 एआईआर एस.सी.डबल्यू 297)** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकार अवधारित किया:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"15. हमें श्री राय के इस व्यापक तर्क को स्वीकार करने में तनिक भी संकोच नहीं है कि अवैध पारितोषण की मांग इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध सिद्ध करने के लिए अनिवार्य शर्त है। केवल मुद्रा नोटों की बरामदगी मात्र से अधिनियम के अंतर्गत अपराध सिद्ध नहीं होता, जब तक कि संदेह से परे यह सिद्ध न हो जाए कि अभियुक्त ने धनराशि को यह जानते हुए स्वेच्छा से स्वीकार किया कि वह रिश्वत है। वर्तमान मामले के तथ्यों में हमारा मत है कि अधिनियम की धारा *7* तथा धारा 13(1)(घ)(**ii**) के अंतर्गत अपराध को सिद्ध करने के लिए आवश्यक दोनों तत्व विद्यमान हैं। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी ने ठेकेदार से धन की मांग की थी क्योंकि उसने उसके बिल पारित किए थे। आगे यह भी साक्ष्य है कि जब

ठेकेदार, अपीलार्थी द्वारा निर्धारित तिथि पर रिश्वत की राशि देने के लिए छाया-साक्षी के साथ गया, तो अपीलार्थी ने छाया-साक्षी को कक्ष से बाहर जाने के लिए कहा और तत्पश्चात अवैध पारितोषण की मांग की गई तथा उसका भुगतान किया गया।अपीलार्थी की उंगलियों तथा उसके दाहिने पैंट की जेब के संबंध में सकारात्मक सोडियम कार्बोनेट परीक्षण यह दर्शाता है कि उसने रिश्वत की राशि स्वेच्छा से स्वीकार की थी। अतः अवैध पारितोषण की मांग तथा उसकी स्वैच्छिक स्वीकृति, दोनों के संबंध में साक्ष्य उपलब्ध हैं।"

22. वर्तमान प्रकरण में यह स्पष्ट है कि परिवादी बिसाहुराम यादव (अ.सा.-2) होरी सिंह कंवर के घर गया था, जहाँ अपीलार्थी अपना कार्य कर रहा था। परिवादी बिसाहुराम यादव (अ.सा.-2) अपीलार्थी को घर के बाहर ले गया। इसके पश्चात अपीलार्थी ने परिवादी से चिन्हित (ट्रैप) राशि प्राप्त की। परिवादी ने प्रतीक्षारत ट्रैप दल को संकेत दिया और संकेत प्राप्त होते ही ट्रैप दल तत्काल घटनास्थल पर पहुँचा तथा अपीलार्थी के हाथ पकड़ लिए। अपीलार्थी की उंगलियों को सोडियम कार्बोनेट के घोल में धुलवाने पर फिनॉल्फ्थेलीन परीक्षण सकारात्मक पाया गया। मुद्रा नोट भी अपीलार्थी के कथनानुसार बरामद किए गए तथा उनके नंबरों का मिलान पूर्व-ट्रैप पंचनामा (प्र.पी.-13) में उल्लिखित नंबरों से किया गया, जो समान पाए गए।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

23. **एम. नरसिंगा राव बनाम राज्य आंध्र प्रदेश, (2001) 1 एससीसी 691** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकार अवधारित किया:

> **"**22. रघुबीर सिंह बनाम राज्य हरियाणा, (1974) 4 एससीसी 560 में, न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्ण अय्यर ने तीन-न्यायाधीशों की पीठ की ओर से निर्णय देते हुए यह अवधारित किया कि सहायक स्टेशन मास्टर के पास चिन्हित मुद्रा नोटों का पाया जाना, उस आरोप के संदर्भ में कि उसने उक्त राशि की मांग की और प्राप्त की, स्वयं में ही 'रेस इप्सा लिक्वीटर' (अर्थात परिस्थितियां स्वयं बोलती है) है। इस संदर्भ में इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ (न्यायमूर्ति आर.एस. सरकारिया एवं न्यायमूर्ति ओ. चिन्नप्पा रेड्डी) के निर्णय हज़ारी लाल बनाम राज्य (दिल्ली प्रशासन), (1980) 2 एससीसी 390 का भी उपयोगी रूप से उल्लेख किया जा सकता है। उस मामले में एक पुलिस आरक्षक को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 की धारा 5(2) के अंतर्गत इस आरोप पर दोषसिद्ध किया गया था कि उसने श्रीराम (अ.सा.-3) से 60 रुपये की मांग की और प्राप्त किए। विचारण न्यायालय में अ.सा.-3 अपने पूर्व कथन से मुकर गया और अभियोजन द्वारा उसे पक्षद्रोही घोषित किया गया। आधिकारिक साक्षियों, जिनमें अ.सा.-8 भी सम्मिलित थे, ने अभियोजन के कथन का समर्थन किया। न्यायालय ने पाया कि फिनॉल्फ्थेलीन लगे हुए मुद्रा नोट पुलिस आरक्षक की जेब से बरामद किए

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

गए थे।उक्त प्रकरण में यह तर्क दिया गया कि प्रत्यक्ष साक्ष्य के अभाव में, जिससे यह सिद्ध हो कि पुलिस आरक्षक ने रिश्वत की मांग या स्वीकृति की, केवल चिन्हित मुद्रा नोटों की बरामदगी के आधार पर अधिनियम, 1947 की धारा 4 के अंतर्गत कोई अवधारणा नहीं किया जा सकता। इस तर्क का निपटान करते हुए न्यायमूर्ति चिन्नप्पा रेड्डी (जो दो-न्यायाधीशों की पीठ की ओर से निर्णय दे रहे थे) ने इस प्रकार अवधारित किया: (एससीसी पृष्ठ 396, कंडिका 10)"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"यह आवश्यक नहीं है कि धनराशि का लेन-देन प्रत्यक्ष साक्ष्य से ही सिद्ध किया जाए। इसे परिस्थितिजन्य साक्ष्य से भी सिद्ध किया जा सकता है। वर्तमान मामले में जो घटनाएँ त्वरित क्रम में घटित हुईं, वे केवल इसी निष्कर्ष की ओर ले जाती हैं कि धनराशि अभियुक्त ने अ.सा.-3 से प्राप्त की थी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के अंतर्गत न्यायालय किसी ऐसे तथ्य के अस्तित्व का अवधारणा कर सकता है, जिसके घटित होने की संभावना वह प्राकृतिक घटनाओं की सामान्य प्रवृत्ति, मानव आचरण तथा सार्वजनिक एवं निजी कार्य-व्यवहार को ध्यान में रखते हुए, मामले के विशेष तथ्यों के संदर्भ में उचित समझे। धारा 114 का एक दृष्टांत यह है कि यदि कोई व्यक्ति चोरी के तुरंत बाद चोरी की वस्तुओं के कब्जे में पाया जाता है, तो यह अनुमान किया जा सकता है कि वह या तो चोर है अथवा उसे यह

जानते हुए वस्तुएँ प्राप्त हुई हैं कि वे चोरी की हैं, जब तक कि वह अपने कब्जे का संतोषजनक स्पष्टीकरण न दे सके। इसी प्रकार, वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में न्यायालय यह अनुमान कर सकता है कि अभियुक्त, जिसने अपनी जेब से मुद्रा नोट निकालकर दीवार के पार फेंक दिए, उसने वे नोट अ.सा.-3 से प्राप्त किए थे, ये नोट कुछ ही मिनट पहले अ.सा.-3 के कब्जे में पाया गया था। जब हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अभियुक्त ने अ.सा.-3 से धनराशि प्राप्त की थी, तो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 4(1) के अंतर्गत अनुमान तुरंत लागू हो जाता है। यह अनुमान निस्संदेह खंडनीय है, परंतु वर्तमान मामले में इस अनुमान का खंडन करने हेतु कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अतः अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जाना उचित था।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

25. अतः हम विचारण न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के इस निष्कर्ष से सहमत हैं कि अभियोजन ने यह सिद्ध कर दिया है कि अपीलार्थी ने अ.सा.-1 से पारितोषण प्राप्त किया था। ऐसी स्थिति में न्यायालय विधिक रूप से बाध्य है कि वह यह विधिक उपधारणा करें कि उक्त पारितोषण सार्वजनिक कर्तव्य के निर्वहन के इनाम के रूप में स्वीकार किया गया था। निस्संदेह, अपीलार्थी ने उक्त उपधारणा का खंडन करने का गंभीर प्रयास दो तरीकों से किया। एक, अ.सा.-1 एवं अ.सा.-2 से अपने पक्ष के अनुरूप कथन दिलवाकर; और दूसरा,

बचाव पक्ष की ओर से दो साक्षियों का परीक्षण कराकर। यह सत्य है कि अ.सा.-1 एवं अ.सा.-2 ने अपीलार्थी का साथ दिया। बचाव पक्ष के दोनों साक्षियों ने यह कथन किया कि जिस तिथि को अ.सा.-1 द्वारा कथित मांग की गई थी, उस दिन अपीलार्थी थाने में उपस्थित नहीं था। परंतु विचारण न्यायालय तथा उच्च न्यायालय ने उनके साक्ष्य को अविश्वसनीय माना है, और ऐसा निष्कर्ष ठोस एवं सशक्त तर्कों पर आधारित है। दोनों न्यायालयों द्वारा दिए गए समवर्ती निष्कर्ष में इस न्यायालय द्वारा किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

24. **टी. शंकर प्रसाद बनाम राज्य आंध्र प्रदेश, (2004) 3 एससीसी 753** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकार अवधारित किया:

"8. परस्पर विरोधी पक्षकारों के तर्कों की विवेचना करने के लिए अधिनियम की धारा 20(1) का उद्धरण देना उपयुक्त होगा, जो सार एवं तत्व में पूर्ववर्ती अधिनियम, 1947 की धारा 4(1) के समान है और इस प्रकार है:

'4. (1) वह अनुमान जहाँ लोकसेवक वैध पारिश्रमिक के अतिरिक्त पारितोषण स्वीकार करता है.—(1) जहाँ किसी विचारण में भारतीय दंड संहिता की धारा 161 या धारा 165 के अधीन दंडनीय अपराध, अथवा इस अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) में उल्लिखित अपराध, जो

उसकी उपधारा (2) के अधीन दंडनीय है, के संबंध में यह सिद्ध हो जाता है कि किसी अभियुक्त ने अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए किसी व्यक्ति से कोई पारितोषण (वैध पारिश्रमिक के अतिरिक्त) या कोई मूल्यवान वस्तु स्वीकार की है या प्राप्त की है, अथवा उसे स्वीकार करने या प्राप्त करने पर सहमति व्यक्त की है या प्राप्त करने का प्रयास किया है, तो जब तक इसके विपरीत सिद्ध न कर दिया जाए, यह उपधारणा किया जाएगा कि उसने उक्त पारितोषिक या मूल्यवान वस्तु, जैसा भी प्रकरण हो, भारतीय दंड संहिता की उक्त धारा 161 में वर्णित प्रेरणा या प्रतिफल के रूप में, अथवा बिना किसी प्रतिफल के या ऐसे प्रतिफल के लिए जिसे वह अपर्याप्त जानता था, स्वीकार की या प्राप्त की थी, या उसे स्वीकार करने या प्राप्त करने पर सहमति दी थी या उसका प्रयास किया था।'"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"9. आगे बढ़ने से पूर्व हम यह उल्लेख करना उचित समझते हैं कि 'उपधारणा कर सकता है' तथा 'उपधारणा करेगा' शब्दों की परिभाषा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (संक्षेप में 'साक्ष्य अधिनियम') की धारा 4 में दी गई है। प्रथम श्रेणी में आने वाले उपधारणा को संक्षेप में 'तथ्यात्मक उपधारणा' या 'विवेकाधीन उपधारणा' कहा जाता है तथा द्वितीय श्रेणी में आने वाले अनुमानों को 'विधिक उपधारणा' या 'अनिवार्य उपधारणा' कहा जाता है। जब 1947 के अधिनियम की धारा 4(1) तथा वर्तमान अधिनियम

की धारा 20 में "उपधारणा किया जाएगा" शब्दों का प्रयोग किया गया है, तो उसका वही बाध्यकारी अर्थ होगा।

10. जब उपधारा विधिक उपधारणा से संबंधित है, तो उसे आदेशात्मक स्वर में समझा जाना चाहिए, अर्थात् यह मानकर चलना होगा कि यदि धारा के पूर्व भाग में विनिर्दिष्ट शर्त पूरी हो जाती है, तो यह उपधारणा किया जाएगा कि अभियुक्त ने पारितोषक को किसी आधिकारिक कार्य को करने या न करने के लिए प्रेरणा या इनाम के रूप में स्वीकार किया था। 1947 के अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत ऐसा विधिक अनुमान लगाने के लिए एकमात्र शर्त यह है कि विचारण के दौरान यह सिद्ध हो जाए कि अभियुक्त ने कोई पारितोषण स्वीकार किया है या उसे स्वीकार करने पर सहमति व्यक्त की है। धारा यह नहीं कहती कि उक्त शर्त प्रत्यक्ष साक्ष्य से ही सिद्ध की जानी चाहिए। इसकी केवल यही अपेक्षा है कि यह सिद्ध हो कि अभियुक्त ने पारितोषण स्वीकार किया या उसे स्वीकार करने पर सहमति दी। प्रत्यक्ष साक्ष्य उन माध्यमों में से एक है जिनके द्वारा किसी तथ्य को सिद्ध किया जा सकता है, परंतु साक्ष्य अधिनियम में यही एकमात्र माध्यम नहीं है। (देखें: एम. नरसिंगा राव बनाम राज्य आंध्र प्रदेश, (2001) 1 एससीसी 691)"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

25. **राज्य, सीबीआई हैदराबाद द्वारा प्रतिनिधित्वित बनाम जी. प्रेम राज, (2010) 1 एससीसी 398** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकार अवधारित किया:

"20. इस चरण पर हमें यह भी व्यक्त करना आवश्यक है कि उच्च न्यायालय द्वारा अनुमान को किस प्रकार पूर्णतः अनदेखा कर दिया गया। अधिनियम की धारा 20 इस प्रकार प्रावधान करती है:

'20. उपधारणा जहाँ लोकसेवक वैध पारिश्रमिक के अतिरिक्त पारितोषण स्वीकार करता है.—(1) जहाँ किसी विचारण में धारा 7 या धारा 11 या धारा 13 की उपधारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) के अंतर्गत दंडनीय अपराध के संबंध में यह सिद्ध हो जाता है कि किसी अभियुक्त ने अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए किसी व्यक्ति से कोई पारितोषण (वैध पारिश्रमिक के अतिरिक्त) या कोई मूल्यवान वस्तु स्वीकार की है या प्राप्त की है, अथवा उसे स्वीकार करने या प्राप्त करने पर सहमति दी है या प्राप्त करने का प्रयास किया है, तो जब तक इसके विपरीत सिद्ध न कर दिया जाए, यह अनुमान किया जाएगा कि उसने उक्त पारितोषण या मूल्यवान वस्तु, जैसा भी प्रकरण हो, धारा 7 में उल्लिखित प्रेरणा या प्रतिफल के रूप में, अथवा बिना किसी प्रतिफल के या ऐसे प्रतिफल के लिए जिसे वह अपर्याप्त जानता था, स्वीकार की या प्राप्त की थी या उसे स्वीकार करने अथवा प्राप्त करने का प्रयास किया था।

(2) [सुसंगत नहीं।]

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(3) उपधारा (1) और (2) में निहित किसी बात के बावजूद, यदि न्यायालय की राय में उक्त पारितोषण या वस्तु इतनी तुच्छ है कि उससे भ्रष्टाचार का कोई उचित अनुमान नहीं लगाया जा सकता, तो न्यायालय उक्त उपधाराओं में उल्लिखित अनुमान लगाने से इंकार कर सकता है।'

यह तर्क प्रस्तुत किया गया, यद्यपि अत्यंत दुर्बल रूप से, कि वर्तमान प्रकरण में आरोप धारा 13(2) सहपठित धारा 13(1)(घ) के अंतर्गत था, अतः अनुमान नहीं लगाया जा सकता।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

21. प्रत्यर्थी-अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा यह इंगित किया गया कि धारा 13(1)(घ) के अंतर्गत धारा 20 का अनुमान लागू नहीं होता। किंतु प्रत्यर्थी-अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा यह तथ्य अनदेखा किया गया कि आरोप केवल धारा 13(1)(घ) के अंतर्गत ही नहीं, बल्कि अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत भी था। अधिनियम की धारा 7 इस प्रकार है:

"7. लोकसेवक द्वारा किसी शासकीय कार्य के संबंध में वैध पारिश्रमिक के अतिरिक्त पारितोषण ग्रहण करना.— जो कोई, लोकसेवक होते हुए या लोकसेवक होने की अपेक्षा रखते हुए, अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए किसी भी व्यक्ति से कोई पारितोषण (वैध पारिश्रमिक के अतिरिक्त) इस उद्देश्य से स्वीकार करता है या प्राप्त करता है या स्वीकार करने अथवा प्राप्त

करने का प्रयास करता है कि वह किसी शासकीय कार्य को करने या न करने के लिए, अथवा अपने शासकीय कर्तव्यों के निर्वहन में किसी व्यक्ति के प्रति अनुकूलता या प्रतिकूलता दिखाने या न दिखाने के लिए, अथवा केंद्र सरकार, किसी राज्य सरकार, संसद, किसी राज्य की विधानमंडल, किसी स्थानीय प्राधिकरण, धारा 2 के खंड (ग) में उल्लिखित किसी निगम या सरकारी कंपनी, या किसी लोकसेवक के साथ किसी सेवा या अहितकारी सेवा प्रदान करने या प्रदान करने का प्रयास करने के लिए प्रेरणा या प्रतिफल स्वरूप ऐसा पारितोषण स्वीकार करता है, वह कारावास से दंडनीय होगा, जिसकी अवधि छह माह से कम नहीं होगी, किंतु जो पाँच वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है, तथा वह शास्ति से भी दंडनीय होगा।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

26. सुब्बू सिंह बनाम राज्य, लोक अभियोजक द्वारा, (2009) 6 एससीसी 462 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि एक बार अभियोजन द्वारा यह सिद्ध कर दिया जाए कि धनराशि रिश्वत के रूप में मांगी गई थी और वह अ.सा.-2 से प्राप्त की गई थी, तो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 20 लागू हो जाती है। जब धारा 20 के अंतर्गत परिकल्पित उपधारणा लागू हो जाता है, तब यह अभियुक्त का दायित्व होता है कि वह यह स्थापित करे कि उक्त राशि रिश्वत के रूप में प्राप्त नहीं की गई थी। यह भी ध्यान देने योग्य है कि अ.सा.-26 एवं अन्य अधिकारियों के घर में प्रवेश करने से पूर्व, कुछ समय तक अपीलार्थी

अपने कक्ष में अकेला था और उसके पास मुद्रा नोट थे। अतः उच्च न्यायालय द्वारा यह उचित रूप से अवलोकित किया गया कि अपीलार्थी द्वारा अपने दाहिने हाथ से राशि गिनने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

27. वर्तमान प्रकरण में 900/- रुपये की मुद्रा नोट अपीलार्थी से बरामद किए गए तथा उनके नंबरों का मिलान पूर्व-ट्रैप पंचनामा (प्र.पी.-13) में उल्लिखित नंबरों से किया गया, जो समान पाए गए। अपीलार्थी द्वारा अपने कब्जे से धनराशि की बरामदगी के संबंध में कोई उचित एवं विश्वसनीय स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया। यह सिद्ध है कि चिन्हित (ट्रैप) राशि अपीलार्थी से बरामद हुई थी, अतः प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों में उसके विरुद्ध यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उसने अवैध पारितोषिक की मांग की तथा उसे स्वीकार किया। ऐसी स्थिति में यह न्यायालय विधिक रूप से बाध्य है कि यह विधिक उपधारणा करे कि उक्त पारितोषण सार्वजनिक कर्तव्य के निर्वहन के ईनाम के रूप में स्वीकार किया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

28. उपर्युक्त कारणों से, मैं इस सुविचारित मत पर हूँ कि अपीलार्थी की दोषसिद्धि विश्वसनीय एवं ठोस साक्ष्यों पर आधारित है। मुझे आक्षेपित निर्णय में कोई अवैधता या अनियमितता परिलक्षित नहीं होती।

29. अतः आक्षेपित निर्णय की पुष्टि की जाती है और अपील खारिज की जाती है।

सही/-

आर.एस.शर्मा

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित अभिनिर्धारित किया जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Translated By ..... Aniruddha Shrivastava , Advocate